

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 54/2023 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

1- रामेश्वरलाल पिता प्रेमचंद धाकड़ नि. जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
-वादी

-: बनाम :-

- 1- कैलाश कुमार पिता नारायण धाकड़ नि. जयसिंहपुरा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- प्रभुलाल पिता नारायण धाकड़ नि. जयसिंहपुरा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- पुष्पाबाई पत्नी नारायण धाकड़ नि. जयसिंहपुरा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- बंदीलाल पिता प्रेमचंद धाकड़ नि. जयसिंहपुरा तह. बड़ीसादड़ी
- 5- बंशीलाल पिता मोतीलाल धाकड़ नि. जयसिंहपुरा तह. बड़ीसादड़ी
- 6- भंवरलाल पिता मोतीलाल धाकड़ नि. जयसिंहपुरा तह. बड़ीसादड़ी
- 7- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा जयसिंहपुरा पटवार हल्का जयसिंहपुरा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- रामेश्वरलाल पिता प्रेमचंद धाकड़ नि. जयसिंहपुरा

आ. नं.	रकबा
65/1	0.38
64	0.01
1/2	0.10
62/2	0.13
331/2	0.17
5	0.79

2- भंवरलाल बंशीलाल पिता मोतीलाल 3/5 बंदीलाल पिता प्रेमचंद 1/5 कैलाश कुमार, प्रभुलाल पिता नारायण पुष्पाबाई पत्नी नारायणलाल 1/5 धाकड़ नि. जयसिंहपुरा

आ. नं.	रकबा
65/2	1.13
1/1	0.49
62/1	0.67
75	0.91
74	0.01
308	0.21
331/1	0.60
7	4.02

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को सरे ईजलास में सुनाया गया।



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 54/2023

वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

1- रामेश्वरलाल पिता प्रेमचंद धाकड़ नि. जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी

-वादी

-: बनाम :-

- 1- कैलाश कुमार पिता नारायण धाकड़ नि. जयसिंहपुरा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- प्रभुलाल पिता नारायण धाकड़ नि. जयसिंहपुरा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- पुष्पाबाई पत्नी नारायण धाकड़ नि. जयसिंहपुरा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- बंदीलाल पिता प्रेमचंद धाकड़ नि. जयसिंहपुरा तह. बड़ीसादड़ी
- 5- बंशीलाल पिता मोतीलाल धाकड़ नि. जयसिंहपुरा तह. बड़ीसादड़ी
- 6- भंवरलाल पिता मोतीलाल धाकड़ नि. जयसिंहपुरा तह. बड़ीसादड़ी
- 7- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा जयसिंहपुरा पटवार हल्का जयसिंहपुरा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- रामेश्वरलाल पिता प्रेमचंद धाकड़ नि. जयसिंहपुरा

आ. नं.	रकबा
65/1	0.38
64	0.01
1/2	0.10
62/2	0.13
331/2	0.17
5	0.79

2- भंवरलाल बंशीलाल पिता मोतीलाल 3/5 बंदीलाल पिता प्रेमचंद 1/5 कैलाश कुमार, प्रभुलाल पिता नारायण पुष्पाबाई पत्नी नारायणलाल 1/5 धाकड़ नि. जयसिंहपुरा

आ. नं.	रकबा
65/2	1.13
1/1	0.49
62/1	0.67
75	0.91
74	0.01
308	0.21
331/1	0.60
7	4.02

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/35

दिनांक : 17/02/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी